# भारत की तेल कूटनीति में जल-विभाजन

**साभार : बिजनेस लाइन**

**24 अगस्त, 2017**

**अविजित गोएल ( भू-राजनीतिक विश्लेषक )**

**यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II ( अंतर्राष्ट्रीय संबंध ) के लिए महत्वपूर्ण है।**

***एक कमजोर ओपेक को यह संदेश देना कि वह अन्य आपूर्ति विकल्प का लाभ उठा सकता है, भारत ने सौदेबाजी के विकल्प को कमजोर बना दिया है।***

भारत-ओपेक संस्थागत वार्ता का सह-अध्यक्षता करते हुए और ओपेक के सचिव-जनरल मोहम्मद सानू बार्किंडो के साथ मुलाकात के दौरान, धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि ओपेक को भारत की जरूरत है न की भारत को ओपेक की, जिसे सुनने के बाद मेजबान देश काफी हैरत में आ गये। क्योंकि वर्तमान में भारत में कच्चे तेल का 80 फीसदी हिस्सा, प्राकृतिक गैस का 70 फीसदी और एलपीजी का 95 फीसदी हिस्सा ओपेक देशों से आयात होता है।

उन्होंने जोर देकर कहा है जब उपभोक्ता देशों के लिए आपूर्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती थी, तो उत्पादकों के लिए भी मांग की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी। उन्होंने कहा कि वैश्विक तेल उद्योग आज एक ''नाजुक चौराहे'' पर खड़ा है और यह संकेत दिया है कि भारतीय मांग को कम करने या निराश करने का कोई प्रयास आपूर्तिकर्ताओं के लिए हानिकारक होगा।

## एशियाई प्रीमियम

दिलचस्प बात तो यह है कि प्रधान ने ओपेक के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगाए गए विवादास्पद ''एशियाई प्रीमियम'' पर भी बात की, जहाँ पश्चिमी खरीदारों को सब्सिडी दी गई है, इसलिए कच्चे तेल के आयात के लिए एशियाई खरीदारों का शुल्क अधिक है। वर्ष 1990 के दशक से, गरीब आयातकों (एशियन देश) पर प्रीमियम लगाया जाता रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप को हमेशा भारी छूट की पेशकश की जाति रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स, जापान ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1992 के बाद से एशियाई आयातकों के लिए प्रीमियम 1 डॉलर प्रति बैरल से 1.5 प्रति बैरल के बीच होने वाला है, जो आज तक भुगतान किये गये बिलियन डॉलर के प्रीमियम से भी अधिक है। जब मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे तो उन्होंने इस प्रणाली को खत्म करने के लिए एशियाई आयातकों को एकजुट होने का आग्रह किया था, लेकिन बाद में पीछे खुद पीछे हट गए।

- भारत के बढ़ते तेल की मांग में बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं के साथ देश के पेट्रोलियम मंत्री द्वारा अपने मेजबान से अपने हक के लिए जवाब मांगना उचित है।
- नए रास्ते खुलने से (ईरान, अमेरिका, कनाडा) और परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने से भारत की ऊर्जा रोडमैप पर एक नया आत्मविश्वास आया है। शुरुआत में भारत एक परिपक्व खरीदार के रूप में व्यवहार करता था और इसे तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में ही जाना जाता था, मगर अब स्थिति थोड़ी बदल गयी है। सचिव-जनरल ने स्वीकार किया कि भारत की तेल मांग 2040 तक 150 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 मिलियन बीपीडी हो जाएगी, जो वर्तमान की वैश्विक मांग 4 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी। ये आंकड़े भारत में ऊर्जा खपत के प्रमुख क्षेत्र से काफी पीछे है, जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.55 टन तेल के बराबर है, जो कि वैश्विक औसत 1.9 टन से नीचे है।

## एक और जीत

ओपेक एक ऐतिहासिक रूप से असमान रिश्ते में इस असभ्य परिवर्तन के संदर्भ में अस्तित्व में आया था, जबकि भारत ने अगस्त में ऊर्जा मोर्चे पर एक और जीत दर्ज की। ऐसी जीत, जो दूरगामी आर्थिक और रणनीतिक परिणामों के साथ आई है अर्थात भारत ने पहली बार अमेरिकी क्रूड खरीदा। करीब 100 मिलियन डॉलर की लागत वाली 2 मिलियन बैरल की एक छोटी खेप वैश्विक कैनवास पर सबसे अधिक इच्छुक, प्रतिस्पर्धी और भरोसेमंद ऊर्जा खिलाड़ी के साथ भारत के ऊर्जा संबंध की शुरुआत हो सकती है। हालांकि, ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती और उनके उच्च सल्फर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इसका कारण लग रहा है, यह भारत का मास्टरस्ट्रोक है।

अमेरिका के साथ शेल निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करन और अक्षय ऊर्जा में तेजी से गिरावट को देखा कर यह कहना जल्दबाजी हो सकता है कि भारत को अमेरिका का साथ कहाँ तक लाभ प्रदान करेगा, साथ ही तेल कीमतों पर नजर रखने वाले भारत के कच्चे तेल की कीमतों पर सट्टा लगा रहे हैं, जो कुछ समय से 60 डॉलर के स्तर पर मौजूद हैं। भारत के लिए, वैश्विक तेल की कीमतें और मानसून दो ऐसे अज्ञात समस्याएं है जो दशकों से विकास के मार्ग में एक भयावह भूमिका निभाती आई है।

## पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन (OPEC)

- यह संगठन विश्व के अधिकांश तेल निर्यातक देशों को एकजुट करता है जिसका उद्देश्य इन देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करना तथा उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

**मुख्यालय: विएना (ऑस्ट्रिया)**

- सदस्यता: अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेडोर, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।
- इक्वेडोर, जिसकी सदस्यता वर्ष 1992 में निलम्बित कर दी गई थी, को 2007 में पुन: शामिल कर लिया गया।
- इंडोनेशिया सदस्य था लेकिन वर्ष 2008 में इसे निलम्बित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका इराक के औपचारिक गठन के दौरान इसका सदस्य था।

**आधिकारिक भाषा: अंग्रेजी**

**उद्भव एवं विकास**

- पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन (Organisation of the Petroleum Eñporting Countries–OPEC) की स्थापना में 1960 में बगदाद (इराक) में हुआ तथा 1961 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा इसका औपचारिक गठन हुआ।
- उसके बाद कतर (1961), इंडोनेशिया और लीबिया (1962), अबू धाबी (1967–1974 में इसकी सदस्यता संयुक्त अरब अमीरात को स्थानान्तरित कर दी गई); अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971); इक्वाडोर (1973), तथा; गैबन (1975); तथा 2007 में अंगोला ओपेक के सदस्य बने।
- 1965 में ओपेक के मुख्यालय को जेनेवा से स्थानान्तरित करके विएना कर दिया गया।
- दिसंबर 1992 से अक्टूबर 2007 तक इक्वेडोर ने अपनी सदस्यता निलम्बित रखी। लेकिन 2007 में पुन: स्वीकार कर ली। 1995 गैबन और जनवरी 2009 में इंडोनेशिया ने इस संगठन की सदस्यता त्याग दी।
- इस प्रकार अब (2014 तक) इसके मात्र 12 सदस्य हैं। इसकी सदस्यता उन राष्ट्रों के लिए है, जो पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल निर्यात करते हैं तथा जिनके हित इन देशों के हितों से मिलते-जुलते हैं।
- समान हितों वाला कोई भी देश ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है बशर्ते कि कुल प्रभावी सदस्य संख्या का 3/4 इसका समर्थन करे तथा समर्थन करने वालों में पांचों संस्थापक देश भी हो।
- वर्तमान में ओपेक विश्व के एक-तिहाई तेल के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है (1973 और 1980 में यह क्रमश: 55 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तेल उत्पादन के लिये जिम्मेदार था) तथा विश्व के कुल तेल भण्डारों का तीन-चौथाई ओपेक देशों में है।

**उद्देश्य**

- ओपेक के प्रमुख उद्देश्य हैं-सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करना तथा एकीकरण लाना; आतंरिक तेल मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए युक्ति ढूंढना ताकि हानिकारक और अनावश्यक मूल्यों और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव समाप्त हो सके।

**संरचना**

- ओपेक अपने सम्मलेन, गवर्नर बोर्ड, आर्थिक योग बोर्ड, तथा सचिवालय के माध्यम से कार्य-निष्पादन करता है।
- सम्मेलन संगठन का सर्वोच्च अंग होता है।
- यह सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों (समान्यतया तेल मंत्री) से बना होता है। प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त रहता है।
- सम्मेलन की प्रत्येक वर्ष एक बैठक होती है, जिसमे नीति निर्धारण, बजट अनुमोदन तथा गवर्नर बोर्ड की अनुशंसाओं पर विचार होता है।
- सभी निर्णय (कार्य प्रणाली से संबंधित निर्णयों को छोड़कर) सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।
- सम्मेलन का प्रस्ताव उस बैठक की समाप्ति के 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाता है, जिस बैठक में उसे अपनाया गया है तथा जब तक कि एक या अधिक सदस्यों ने इस प्रस्ताव के विरोध में सचिवालय में आवेदन नहीं किया है।
- गवर्नर बोर्ड, जिसका प्रधान अध्यक्ष कहलाता है, सम्मेलन के समक्ष वार्षिक बजट, रिर्पोटे और सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
- इसकी वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक होती है, जिसमें सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं।
- गवर्नर, जो सदस्य देशों द्वारा मनोनीत तथा सम्मेलन द्वारा अनुमोदित होते हैं, का कार्यकाल दो वर्षों का होता है। संगठन के अधिशासी कार्यों के लिये सचिवालय उत्तरदायी होता है।
- सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव कहलाता है।
- सचिवालय के अन्दर विशिष्ट कार्यों के लिये विभागों तथा मंडलों का गठन किया गया है।

## संभावित प्रश्न

**नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के आ जाने से तेल की मांग में कमी आई है, आपकी दृष्टि से क्या भारत वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इस अवसर का लाभ उठा पाएगा? स्पष्ट करें।**

**(200 शब्द)**


705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322